

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 3434] No. 3434] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3786(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 60 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2019 है ।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 18 के खंड (क) के उपखंड (IV) के पश्चात निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "(V) अधिनियम की धारा 60 के खंड (ग) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति, जिनके अंतर्गत अनुपस्थित मतदाता भी हैं,";
- 3. उक्त नियमों के नियम 27क में--
 - (अ) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - (कक) "अनुपस्थित मतदाता" से व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 60 के खंड (ग) के अधीन अधिसूचित किया जाए और जो उक्त अधिसूचना में यथा-वर्णित आवश्यक सेवाओं में नियोजित है, और इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों के वर्ग का निर्वाचक भी है;
 - (कख) "नोडल अधिकारी" से ऐसे किसी अनुपस्थित मतदाता के दावे के सत्यापन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो किसी ऐसे वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों के वर्ग का निर्वाचक नहीं है;

5468 GI/2019 (1)

- (आ) खंड (ख) में "अभिप्रेत है जो", से शब्दों के पश्चात् "अनुपस्थित मतदाता से भिन्न " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे,
- (इ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - (ग) "दिव्यांग व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्वाचक नामावली के लिए डाटाबेस में दिव्यांग व्यक्ति के रूप में दर्शित है;
 - (घ) "मतदाता अधिकारी" से वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों के वर्ग के निर्वाचक को डाक मतपत्र जारी करने के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ड.) इस भाग के प्रयोजन के लिए "वरिष्ठ नागरिक" से ऐसा निर्वाचक अभिप्रेत है जो अनुपस्थित मतदाताओं के वर्ग का अस्सी वर्ष से अधिक आयु का है;"
- 4. उक्त नियमों के नियम 27ग में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परतुंक रखे जाएंगे, अर्थातु:-

"परंतु यह और कि अनुपस्थित मतदाता के मामले में, आवेदन प्ररुप 12घ में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होंगी जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं तथा वह विरष्ट नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों से भिन्न, अनुपस्थित मतदाता के लिए नोडल अधिकारी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित होगा, जो रिटर्निंग आफिसर के पास निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से अनुगामी पांच दिन के भीतर पहुंच जाएगा;"

"परंतु यह भी कि प्ररुप 12ग या प्ररुप 12घ में ऐसा आवेदन जिसके साथ प्रारूप 12 या प्ररूप 12घ के भाग 2 के अधीन यथा अपेक्षित प्राधिकृत अधिकारी या नोडल अधिकारी का प्रमाणपत्र नहीं है, रद्द कर दिया जाएगा;"

5. उक्त नियमों के नियम 27ड. के उपनियम (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

"परंतु यह और कि अनुपस्थित मतदाता के मामले में, डाक मतपत्र ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो निर्वाचन आयोग द्वारा विनर्दिष्ट की जाए।"

- 6. उक्त नियमों के नियम 27च के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(3) अनुपस्थित मतदाता के मामले में, मत को ऐसे केन्द्र में अभिलिखित किया जाएगा, जो निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों के वर्ग के अनुपस्थित मतदाता के मामलें में, प्ररुप 13क में घोषणा का अनुप्रमाणन मतदान आफिसर द्वारा किया जाएगा।"

7. उक्त नियमों के नियम 27झ के उप-नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु अनुपस्थित मतदाता के मामले में, निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किसी निदेश के अधीन रहते हुए, डाक मतपत्र, नियम 27च के उपनियम (3) के अधीन मत को अभिलिखित करने के लिए उपबंधित केन्द्र को लौटा दिया जाएगा।"।

8. उक्त नियमों में "प्ररुप 12 ग" के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"[प्ररुप 12 घ]

[नियम 27 ग देखिए]"

भाग 1

सहायक रिटर्निंग आफिसर को सूचना के बारे में पत्र (अनुपस्थित मतदाताओं के लिए)

सेवा में,
सहायक रिटर्निंग आफिसर
(अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के लिए)
 संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
(सदायक रिटर्निंग आफिसर का पदनाम और पता

महादय,					
मैंपुत्र/पुत्री/पत्नीपुत्र/पुत्री/पत्नी					
निवासी ग्राम / मोहल्ला					
शहर /नगर /तहसीलजिलाजिला					
(राज्य) अनुपस्थित वर्ग का मतदाता हूं औरिनर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा/विधान सभा के निर्वाचन में डाक द्वारा अपना मतदान करना चाहता हूं ।					
मेरा डाक का पूरा वर्तमान पता निम्नलिखित है –					
गृह/ निवास गृह/ टैंट संख्या					
कैम्प /मोहल्ला/.टैंट संख्या					
वार्ड/नगर/तहसील					
जिला					
राज्य पिन कोड					
मोबाइल फोन नं. (यदि उपलब्ध हो)					
मेरा नामसंसदीय/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्य पर दर्ज है ।					
मैं(संगठन का नाम और पूरा पता) में कार्यरत हूं ।					
मैं उपर वर्णित निर्वाचन के लिए मतदान के दिवस को ऊपर वर्णित कार्यालय में ड्यूटी पर कार्यरत रहूंगा ।					
 मतदान की तारीख को मेरी शासकीय ड्यूटी के कारण, मैं मतदान के दिवस को मेरे लिए नियत मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने की स्थिति में नहीं रहूंगा। 					
या					
**मैंवर्ष की आयु का हूं/दिव्यांग व्यक्ति हूं, और मैं मतदान करने के लिए मतदान केन्द्र तक जाने की स्थिति में नहीं हूं ।					
यह अनुरोध है कि मुझे उपरोक्त निर्वाचन के लिए अनुपस्थित मतदाता के रुप में डाक मतपत्र जारी किया जाए ।					
भवदीय					
(पूरा नाम और हस्ताक्षर)					
भाग 2					
(वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों से भिन्न अनुपस्थित मतदाता)					
संबंधित संगठन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र					
यह प्रमाणित किया जाता हैकि भाग 1 में आवेदक द्वारा दी गई विशिष्टियाँ सही हैं और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक मतदान के दिवस को शासकीय ड्यूटी पर होगा/होगी और वह मतदान के दिवस को मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने की स्थिति में नहीं होगा/होगी।					
(सत्यापन अधिकारी के परे हस्ताक्षर)					

नाम	
чता	
(रबर की मुद्रा)	

जो लागू न हो उसे काट दें तथा सुसंगत कथन पर चिह्न लगाएं।

टिप्पण: यह आवेदन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से अनुगामी 5 दिन के भीतर रिर्टनिंग आफिसर तक पहुंच जाना चाहिए।

[फा. सं. एच-11019(6)/2019-वि. 2]

डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थी और संख्यांक का.आ.1022(अ) तारीख 26 फरवरी, 2019 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2019

- **S.O.** 3786(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 60 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Election Rules, 1961, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Conduct of Elections Rules, 1961(hereinafter referred to as "the said rules"), in rule 18, in clause (a), after the sub-clause(iv), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 - "(v)persons notified under clause (c) of section 60 of the Act, including absentee voters;";
- 3. In the said rules, in rule 27A—
 - (A) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - "(aa) 'absentee voter' means a person belonging to such class of persons as may be notified, under clause (c) of section 60 of the Act, and who is employed in essential services as mentioned in the said notification, and includes an elector belonging to the class of senior citizen or persons with disability;
 - (ab) 'nodal officer' means an officer authorised to verify the claim of an absentee voter not being an elector belonging to the class of senior citizen or persons with disability;
 - (B) in clause (b), for the words, "the Act.", the words "the Act, other than an absentee voter" shall be inserted;
 - (C) after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - (c) 'person with disability' means a person flagged as person with disability in the data base for the electoral roll;
 - (d) 'poll officer' means the officer deputed to issue postal ballot to elector belonging to the class of senior citizen or persons with disability;
 - (e) 'senior citizen' for the purpose of this Part means an elector belonging to the class of absentee voters and is above 80 years of age."

4. In the said rules, in rule 27C, for the second proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided further that in case of an absentee voter, the application shall be made in Form 12D, and shall contain such particulars as specified therein, and shall be duly verified by the Nodal Officer for the absentee voter, other than senior citizen or persons with disability, which shall reach the Returning Officer within five days following the date of notification of election;

Provided also that an application in form 12C or 12D without a certificate from the authorised officer or nodal officer as required under Part II of Form 12 or 12D shall be rejected;"

- 5. In the said rules, in rule 27E, in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided further that in the case of absentee voter, the postal ballot paper shall be issued in such manner as may be specified by the Election Commission."
- 6. In the said rules, in rule 27F, after sub-rule(2), the following shall be inserted, namely:-
 - "(3) In the case of an absentee voter, the recording of vote shall be made in such centre as may be specified by the Election Commission:

Provided that in the case of absentee voter in the class of senior citizen or persons with disability, the attestation of declaration in Form 13A shall be done by the poll officer.";

7. In the said rules, in rule 27-I, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in the case of absentee voter, postal ballot paper shall be returned to the centre provided for recording of vote under sub-rule(3) of rule 27F, subject to any direction that may be issued by the Election Commission in this behalf."

8. In the said rules, after "FORM 12C", the following Form shall be inserted, namely:-

 T_{0}

"[FORM 12D]

[See rule 27-C)

PART I

Letter of intimation to Assistant Returning Officer

(for absentee voters)

10				
The Assistant Returning Officer,				
(for the notified class of electors)				
Parliamentary/Assembly constituency				
(designation and address of ARO)				
Sir,				
I,son/daughter/wife ofresident ofvillage/mohalla				
Town/city/tehsilDistrict(State) belong to the class of absentee voter and				
wish to cast my vote by post at the election to the House of the People/Legislative Assembly from the				
Parliamentary/Assembly constituency.				
My complete present postal address is as under:-				
House/dwelling unit/tent number				
Camp/mohalla/tent number				
Ward/town/tehsil				
District				

6	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(ii)]		
State	PIN CODE			
Mobile Phone No. (if available)				
My name is entered at serial numberin Part Noof the electoral roll for				
Parliamentary/Assembly constituency.				
I am working as(designation of the office held) in				
				I will be on o
	*On account of my official duties on the date of poll, I will not be in a position to be present in the pollin station assigned to me on the day of poll.			
OR				
*I amto cast vote.	*I amyears of age/am a person with disability, and am not in a position to go to the polling stat to cast vote.			
It is requeste	ed that postal ballot paper may be issued to me as absentee voter for the abo	ve election.		
		Yours faithfully,		
	(Fi	ull name and signature)		
	PART II			
(for absentee voter other than senior citizen or persons with disability)				
Certificate by				
It is hereby certified that the particulars given by the applicant in Part I are correct, and it is furth that the applicant will be on official duty on the day of poll, and he/she will not be in a position to in the polling station on the day of poll.				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	of the attesting Officer)		
		(Name)		
		(address)		
		(rubber stamp)		
	ke off whichever is not applicable and tick the relevant statement. Application must reach RO within 5 days following the date of notification			
Note - This				
		-11019(6)/2019-Leg.II]		
	Dr. REETA V.	ASISHTA, Addl. Secy.		

Footnote: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 859, dated the 15th April, 1961 and were last amended vide number S.O. 1022(E), dated the 26th February, 2019.